क्रमांक Serial No.: 029760

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान
Board of Secondary Education, Rajasthan



प्रमाण-पत्र अंकतालिका सहित
Certificate with Mark-Sheet

उच्च माध्यमिक परीक्षा - 2003
Senior Secondary Examination - 2003

नामांक Roll No.	जिला District	केन्द्र Centre	विद्यालय/अग्रे.अधि. School/F.O.	नियमित/स्वयंपाठी Regular/Private	श्रेणी Category	वर्ग का नाम Group Name	संदर्भ संख्या Ref. No.
3083933	12	12076	12247	REGULAR	1	COMMERCE	012347

प्रमाणित किया जाता है कि This is to certify that **ARUN DETWAL**

FATHER'S NAME : SHRI RAJ KUMAR DETWAL

MOTHER'S NAME : SMT. BEENA DEVI

ने माह मार्च/अप्रेल 2003 में आयोजित उच्च माध्यमिक परीक्षा has appeared at the Senior Secondary Examination held in March/April 2003 from

SH PARSHURAM ADARSH BAL VM SR S ARJUN NAGAR,JYOTINGAR,JAIPUR

से प्रविष्ट होकर निम्नांकित विषयों में दर्शाये गये अंको सहित उत्तीर्ण की : and was declared Pass with subject-wise marks mentioned below :

अनिवार्य/ऐच्छिक विषय Comp./Optional Subject	पूर्णांक (Max Marks) सैद्धा. (Th.)	सत्रांक (Sess.)	प्रायो. (Pr.)	न्यू. उत्ती.(Min. Pass Marks) सैद्धा.+ (Th.)	सत्रांक (Sess.)	प्रायो. (Pr.)	प्राप्तांक (Marks Obtained) सैद्धा.(Th.) I	II	सत्रांक (Sess.)	योग (Total)	प्रायो. (Pr.)	योग (Total)
HINDI COMP.	90	10		33			51		10	61		61
ENGLISH COMP.	90	10		33			34		09	43		43
ACCOUNTANCY	135	15		50			10	23	12	45		45G
BUSS.ORG.	135	15		50			24	19	13	56		56
TYPE HIN	70	08		26			49		08	57		
TYPE ENG	65	07		24				44	06	50		107

कुल पूर्णांक Total Max. Marks	कुल प्राप्तांक Total Marks Obtained	परिणाम Result
650	312 48.00%	SECOND DIV. BY GRACE

अतिरिक्त विषय Additional Subject												
COMP.SCI	90	10	50	33	17	19	17	09	45	46	91	

अजमेर AJMER

दिनांक DATE 27TH April 2003

(विशेष विवरण हेतु कृपया पृष्ठ उलटिए)

(सुमन लाल बोहरा)
सचिव
Secretary

विशेष विवरण

1. उच्च माध्यमिक परीक्षा में श्रेणी (Division) निर्धारण के लिये पूर्णांक 650 है। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने के लिये क्रमशः 60, 45 तथा 33 प्रतिशत अंक लाना आवश्यक है। विशेष योग्यता 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर केवल ऐच्छिक विषय/विषयों में दी जाती है। परीक्षा श्रेणी (Category) 3 से 6 तक के परीक्षार्थियों के लिए यह नियम लागू नहीं होगें।

2. परीक्षा श्रेणी (Category) का तात्पर्य परीक्षा में सम्मिलित निम्न प्रकार के परीक्षार्थियों से है :-

(क) सम्पूर्ण विषयों में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी1

(ख) श्रेणी (Division) सुधार हेतु पुनः सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी2

(ग) द्वितीय अवसर पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी3

(घ) अतिरिक्त विषय/विषयों में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी4

(ड़) मान्य प्राच्य भाषा तथा सैकण्डरी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद अंग्रेजी (अनिवार्य) तथा विशेष अंग्रेजी में प्रविष्ट होने वाले तथा समकक्ष परीक्षा में बिना हिन्दी (अनिवार्य) के उत्तीर्ण छात्र जो केवल हिन्दी (अनिवार्य) विषय में सम्मिलित हो रहे है ..5

(च) अंको में सुधार हेतु एक या अधिक विषयों में (परन्तु सम्पूर्ण विषयों में नहीं) सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी6

(छ) वर्ग परिवर्तन कर पुनः उसी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी8

3. प्राप्तांकों की पुनः गणना हेतु आवेदन पत्र बोर्ड कार्यालय में परीक्षाफल घोषणा की तिथि से एक माह की अवधि में पहुँच जाने चाहिए। इसके बाद प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। प्रत्येक विषय के लिए शुल्क रुपये 50/- निर्धारित है। पुनःगणना हेतु आवेदन पत्र उप निदेशक (गोपनीय) के नाम से भेजें।

4. यदि कभी यह पाया गया है कि अभ्यर्थी ने बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र अंकतालिका सहित अथवा किसी अन्य प्रलेख में दी गई प्रविष्टि में हेरफेर अथवा रद्दोबदल किया है तो यह दण्डनीय कार्य माना जायेगा तथा दोष की गम्भीरता के परिमाण को दृष्टि में रखते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

5. अनिवार्य विषय के सम्मुख COMP. अंकित किया गया हैं।

6. परीक्षा में प्रविष्ट होने के उपरान्त भी परीक्षार्थी अंकतालिका में किसी विषय में अनुपस्थित पाता है तो वह केन्द्राधीक्षक से उपस्थिति प्रमाणित कराकर अधिकतम तीन माह की अवधि में बोर्ड कार्यालय को सूचित करें।

7. ABBREVIATIONS :

D	-	विषय में विशेष योग्यता	I	-	प्रथम पत्र
G	-	सानुग्रह अंक	II	-	द्वितीय पत्र

विद्यालय प्रधान / केन्द्राधीक्षक द्वारा पृष्ठांकन

परीक्षार्थी जिसके हस्ताक्षर नीचे किये हुए हैं को प्रमाण-पत्र अंकतालिका सहित दिनांक 23/5/2003 को दिया गया।

23/05/2003

प्रिंसिपल (H-1247)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

विद्यालय प्रधान/केन्द्राधीक्षक के हस्ताक्षर व विद्यालय की रबड़ मोहर

(परीक्षार्थी को यदि मूल प्रमाण-पत्र अंकतालिका सहित उक्त पृष्ठांकन के बिना दिया गया हो तो यह अमान्य होगा)